

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना
शुद्धि पत्र

पटना, दिनांक- 6/5/16
संचिका संख्या-17/विविध1-23/2014-295(17)/ स्वास्थ्य विभाग की
अधिसूचना संख्या-858(17) दिनांक-31.12.2014 के पैथोलॉजी विभाग (ट्यूटर), राज्य के
स्नातकोत्तर (पी0जी0एस0) के क्रमांक-1 पर अंकित नाम "डा0 मो0 मुजफ्फरपुर अली
मुजफ्फर" के स्थान पर "डा0 मो0 अली मुजफ्फर" पढ़ा जाय।

उक्त अधिसूचना का शेष यथावत रहेगा।

2. संचिका संख्या-17/विविध 1-23/2014-296(17)/ स्वास्थ्य विभाग की
अधिसूचना संख्या-285(17) दिनांक-17.05.2015 के स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग (सीनियर
रेजिडेंट), बिहार स्वास्थ्य सेवा (बी0एच0एस0) के क्रमांक-3 पर अंकित नाम डा0 कुसुम
कुमारी, आरक्षण कोटि-पि0व0म0, पदस्थापित चिकित्सा महाविद्यालय का नाम -अनुग्रह
नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल गया का नाम "बिहार स्वास्थ्य सेवा
(बी0एच0एस0)" के बदले "राज्य से बाहर के स्नातकोत्तर (पी0जी0ओ0)" में पढ़ा जाय।

उक्त अधिसूचना का शेष यथावत रहेगा।

3. संचिका संख्या-17/विविध1-23/2014-297(17)/ स्वास्थ्य विभाग की
अधिसूचना संख्या-285(17) दिनांक-17.05.2015 के स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग (सीनियर
रेजिडेंट), बिहार स्वास्थ्य सेवा (बी0एच0एस0) के क्रमांक-2 पर अंकित नाम डा0 प्रियंका,
आरक्षण कोटि-पि0व0म0, पदस्थापित चिकित्सा महाविद्यालय का नाम -वर्द्धमान आयुर्विज्ञान
संस्थान, पावापुरी, नालंदा का नाम "बिहार स्वास्थ्य सेवा (बी0एच0एस0)" के बदले "राज्य
के स्नातकोत्तर (पी0जी0एस0)" में पढ़ा जाय।

उक्त अधिसूचना का शेष यथावत रहेगा।

4. संचिका संख्या-17/विविध1-23/2014-298(17)/ स्वास्थ्य विभाग की
अधिसूचना संख्या-527(17) दिनांक-02.09.2015 के पी0एस0एम0 (कम्यूनिटी मेडिसीन)
विभाग, (ट्यूटर), के क्रमांक-9 पर अंकित नाम डा0 पंकज कुमार, कैटेगरी-बी0एच0एस0,
आरक्षण कोटि -सामान्य, पदस्थापित चिकित्सा महाविद्यालय का नाम -राजकीय चिकित्सा
महाविद्यालय, बेतिया का नाम "बिहार स्वास्थ्य सेवा (बी0एच0एस0)" के बदले "राज्य के
स्नातकोत्तर (पी0जी0एस0)" में पढ़ा जाय।


उक्त अधिसूचना का शेष यथावत रहेगा।



5. संचिका संख्या-17/विविध1-23/2014-299(17)/ स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना संख्या-285(17) दिनांक-17.05.2015 के ई0एन0टी0 विभाग (सीनियर रेजिडेंट), राज्य के स्नातकोत्तर (पी0जी0एस0) के क्रमांक-1 पर अंकित नाम डा0 मो0 सरफराज,कैटेगरी -बी0एच0एस0, आरक्षण कोटि-सामान्य, पदस्थापित चिकित्सा महाविद्यालय का नाम -वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालंदा का नाम "कैटेगरी बी0एच0एस0" के बदले "पी0जी0एस0" पढ़ा जाय।

उक्त अधिसूचना का शेष यथावत रहेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(शेखर चन्द्र वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव।


ज्ञापांक :-17/विविध1-23/2014-295(17) 299(17) पटना, दिनांक :- 6/5/16

प्रतिलिपि :-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- महालेखाकार(ले0एवंह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना एवं संबंधित कोषागार,पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।